बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

संख्या-वन पर्या.-84/2000-494-३० प०व०, राज्य में पर्यावरण शिक्षा के प्रचार-प्रसार, पर्यावरण संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु राष्ट्र के भावी नागरिकों, स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, राज्य के प्रत्येक जिले के सौ माध्यमिक विद्यालयों ‍‍{आवश्यकतानुसार अपर प्राईमरी पाठशालाओं को भी} में "इको क्लब" की स्थापना करने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। "इको क्लब" के सदस्यों को "राष्ट्रीय हरित वाहिनी" के नाम से जाना जायेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, नीति निर्धारण, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने, कार्यक्रम के अनुश्रवण करने एवं मार्गदर्शन आदि प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय "स्टेट स्टियरिंग कमिटी" तथा जिला स्तरीय "जिला कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति" का गठन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को पदनाम से "नोडल पदाधिकारी" घोषित किया जा चुका है।

{1} राज्य स्तरीय स्टेट स्टियरिंग कमिटी का गठन निम्नवत किया जाता है:-

{1}	आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास {प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा} बिहार, पटना	अध्यक्ष
{2}	आयुक्त एवं सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
{3}	सचिव, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
{4}	सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
{5}	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	सदस्य
{6}	सेंटर फोर इन्वायरमेंटल एडुकेशन, उत्तरी क्षेत्र अहमदाबाद के एक प्रतिनिधि	सदस्य
{7}	केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
{8}	राज्य स्तरीय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा पर्षद एवं आई०सी०एस०ई० के एक-एक प्रतिनिधि {मानव संसाधन विभाग द्वारा मनोनीत}	सदस्य

।9।	राज्य में अवस्थित गैर सरकारी संस्थानों के तीन मनोनीत सदस्य।पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा मनोनीत।	सदस्य
।10।	सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, सह राज्य नोडल पदाधिकारी	सदस्य सचिव

।।।।। समिति के कार्य एवं दायित्व

।क। समिति राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी ।

।ख। समिति विभिन्न विभागों को इको-क्लब की स्थापना के कार्य हेतु प्रोत्साहित करेगी ।

।ग। समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं जिला स्तरीय समिति को कार्यान्वयन से संबंधित बिन्दुओं पर सुझाव दिया जायेगा ।

।घ। इस समिति द्वारा इस कार्यक्रम के सफलता के आधार पर प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च जिला, सर्वोच्च "इको-क्लब" का चयन किया जायेगा एवं उनके कृत्त कार्यों का प्रचार-प्रसार "मॉडल जिला, इको-क्लब" के रूप में कराया जायेगा ।

।ड.। इस समिति द्वारा राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय स्टियरिंग समिति, भारत सरकार को भेजने हेतु प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

।।V। जिला स्तरीय, जिला कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

।1।	जिला धिकारी-	अध्यक्ष
।2।	संबंधित प्रादेशिक/प्रसार वन प्रमंडल पदाधिकारी-	सदस्य
।3।	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-सिविल सर्जन -	सदस्य
।4।	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी	सदस्य
।5।	जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के दो प्रतिनिधि- ।जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत।	सदस्य
।6।	जिला में कार्यरत दो प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों के मनोनीत प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत हों ।	सदस्य
।7।	जिला शिक्षा पदाधिकारी-	सदस्य सचिव ।

21

समिति के कार्य एवं दायित्व

(क) समिति द्वारा संबंधित स्कूलों की पहचान राज्य नोडल एजेन्सी तथा रिसोर्स एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा ।

(ख) स्कूलों के प्रधानाध्यापक को इस कार्यक्रम को चलाने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(ग) जिले से मास्टर-ट्रेनर की पहचान कर इन्हें प्रशिक्षण हेतु राज्य नोडल एजेंसी के पास भेजना ।

(घ) स्कूलों के प्रधानाध्यापक की मदद से प्रभारी शिक्षक की पहचान एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(ङ.) प्रभारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना ।

(च) जिला स्तरीय पर चलाये जानेवाले कार्यों की पहचान एवं संबंधित स्कूलों में इसे कार्यान्वित कराना । जिले के इको-क्लब के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना ।

(छ) राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी को विहित प्रपत्र में स्कूलों के इको-क्लब के कार्यों के संबंध में सूचना भेजना ।

(ज) समिति के अध्यक्ष समिति के प्रत्येक सदस्य को दस-पन्द्रह स्कूलों का पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकेंगे एवं उनसे अनुश्रवण प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेंगे ।

(झ) यह समिति राज्य स्तरीय समिति को विहित प्रपत्र में निर्धारित समय पर प्रतिवेदन समर्पित करेगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(वी0 जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- वन/पर्या.-84/2000-494-3पर्या0व0, पटना-15, दिनांक-06 अक्टूबर, 2001

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसे राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर इसकी दो सौ प्रतियाँ विभाग को भेजी जाय ।

ह0/-
(वी0 जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव ।

सिंह/

ह0 पू0 उ0

201

ज्ञापांक-वन/पर्या.-84/2000-4948 उ0प0व0, पटना-15, दिनांक- 06 अक्टूबर, 2001

प्रतिलिपि सभी राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों/सभी जिलाधिकारी एवं जिलास्तरीय समिति के सदस्यों/सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली/श्री आर0 मेहता, निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सीजी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली/निदेशक, सेंटर फोर इन्वायरमेंटल एडुकेशन, नेहरू फाउण्डेशन फोर डेवलपमेंट तलतेज टेकरा, अहमदाबाद-380054 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 6/10/2001

ह वी0 जयशंकर ह
अपर मुख्य एवं सचिव।

ज्ञापांक-वन पर्या.-84/2000-494-3 उ0प0व0, पटना-15, दिनांक-06 अक्टूबर, 2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना/माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, मानव संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 6/10/2001

ह वी0 जयशंकर ह
अपर मुख्य एवं सचिव।